File No.71-2099/498/2019- -2-

65/2021/1/71832/202

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 18 जून, 2021**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ के ट्रामा सेन्टर में फायर स्टेयर के स्थान पर फायर रैम्प निर्माण प्रायोजना हेतु धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 312/योजना अनु0/2021, दिनांक 06-04-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

2- **उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-25/2020/337/71-2-2020-के0जी0एम0यू0-64/2017, दिनांक 06.03.2020 द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के ट्रामा सेन्टर में फायर स्टेयर के स्थान पर फायर रैम्प निर्माण प्रायोजना हेतु धनराशि रू0 442.47 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से उक्त प्रायोजना की लागत के सापेक्ष धनराशि रू0 309.729 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।**

3- **उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 06.04.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रायोजना की लागत रू0 442.47 लाख के सापेक्ष सिविल कार्य की तकनीकी स्वीकृत रू0 373.86 लाख (जी0एस0टी0 सहित) एवं विद्युत कार्य की तकनीकी स्वीकृत रू0 68.33 लाख (जी0एस0टी0 सहित) अर्थात कुल तकनीकी स्वीकृत धनराशि रू0 442.19 लाख प्रदान की गयी है। इस कारण कार्यदायी संस्था को प्रायोजना की लागत रू0 442.47 लाख के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति रू0 442.19 लाख प्रदान की जानी है। अतः प्रायोजना की तकनीकी स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 132.461 लाख अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।**

4- **उक्त के क्रम में सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ के ट्रामा सेन्टर में फायर स्टेयर के स्थान पर फायर रैम्प निर्माण प्रायोजना हेतु प्रायोजना की लागत रू0 442.47 लाख के क्रम में प्राप्त तकनीकी स्वीकृति धनराशि रू0 442.19 लाख के सापेक्ष अनुदान संख्या-31 से धनराशि रू0 109.271 लाख तथा अनुदान संख्या-83 से 23.190 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 132.461 लाख (रू0 एक करोड बत्तीस लाख छियालिस हजार सौ रूपये मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किए जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-**

1) **कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2) प्रश्नगत प्रायोजना का पुन: पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा एवं वर्तमान पुनरीक्षित अनुमोदित लागत के सापेक्ष भविष्य में धनराशि अवमुक्त नहीं की जाएगी। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 का होगा।

3) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर आदि में किसी भी दशा में नहीं रखा जायेगा।

4) कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 द्वारा प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लेकेसी) रोकने के लिए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना/कार्यक्रम में न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी।

5) पुनरीक्षण के संबंध में सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6) विश्वविद्यालय द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26-08-2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7) प्रायोजना की मूल तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

8) प्रायोजनान्तर्गत रेनोवेशन एवं री-मांडलिंग का कार्य प्रस्तावित है। अतः निर्माण उपरान्त प्राप्त होने वाली पुरानी सामग्री का ह्रासित मूल्य निर्धारित कर राजकोष में धनराशि जमा कराये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विश्वविद्यालय का होगा।

9) पुनरीक्षित प्रायोजना में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया है, जिसमें उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का प्रयोग इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

10) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय। उक्त के अतिरिक्त प्रायोजना के संबंध में समस्त सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11) प्रायोजनान्तगर्त प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विश्वविद्यालय का होगा।

12) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

13) कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज देय होगा।

14) प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य की गयी है। विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

15) कार्यदायी संस्था को दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाएगी। विभागाध्यक्ष, कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

6- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 109.271 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-031-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-06-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे तथा धनराशि रू0 23.190 लाख अनुदान संख्या-083-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-31-के0जी0एम0यू0, लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या- उपरोक्त-*तद्दिनांक*

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
3. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
6. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
8. महाप्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Filename:	65
Directory:	C:\Users\me-2\Documents
Template:	C:\Users\me-2\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:	
Subject:	
Author:	ajai
Keywords:	
Comments:	
Creation Date:	6/18/2021 12:22:00 PM
Change Number:	2
Last Saved On:	6/18/2021 12:22:00 PM
Last Saved By:	me-2
Total Editing Time:	0 Minutes
Last Printed On:	6/18/2021 12:22:00 PM

As of Last Complete Printing

Number of Pages:	3
Number of Words:	1,018 (approx.)
Number of Characters:	5,803 (approx.)